सार्वजनिक नोटिस

(धन-शोधन निवारण (संपत्ति की बहाली) नियम, 2016 का नियम 3 (1) देखें)

जबकि,माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली के समक्ष ईसीआईआर नंबर ईसीआईआर 292/डीजेड/2009 में मुकेश जैन और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सीसी नंबर: 139/2019 वाली एक अभियोजन शिकायत दायर की गई थी। .

जबकि,मुकदमे के समापन पर, माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली ने दिनांक 30.03.2024 के फैसले के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 8(5) के तहत राशि को जब्त करने का आदेश दिया है। रु. 56,10,000/- अनंतिम कुर्की आदेश दिनांक 07.05.2018 के माध्यम से संलग्न किया गया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 08.10.2018 के आदेश के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) का हिस्सा होने की पुष्टि की गई। उपरोक्त पीओसी केंद्र सरकार के लिए जब्त कर दी गई है।

इसलिए अब, धन शोधन निवारण (संपत्ति की बहाली) नियम, 2016 के नियम 3 (1) के संदर्भ में, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 8 (8) के साथ पठित, कोई भी व्यक्ति या संस्था जो लोग ऐसी संपत्ति या उसके हिस्से में वैध हित होने का दावा करते हैं, उन्हें ऐसी संपत्ति या उसके हिस्से की बहाली प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष अपने दावे, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने और स्थापित करने के लिए कहा जाता है।

दिनांकित 26.04.2024

Mohd. Farrukh

विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए)

राउज़ एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली

CBC 15304/11/0005/2425